प्रेषक,

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
श्रावस्ती।

विषयः- <u>तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा वार्षिक प्रविष्टि वर्ष 2019-20 पर की गयी टिप्पणियों के विरुद्ध प्रत्यावेदन।</u>

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती द्वारा सन् 2019-20 की वार्षिक प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन स्वनिर्धारण विवरणी को दृष्टिगत रखते हुये निम्न प्रकार से बिन्दुवार कथन किया हैः-

1- कालम नं० 1(a) में प्रार्थी के विरूद्ध सत्यनिष्ठा संदेहस्पद होना अंकित किया गया है जिसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरे दोनों पुत्र प्रशांत कुमार व प्रभात कुमार वयस्क हैं, पढ़े लिखे है अपनी आजीविका के लिए उनके द्वारा प्राइवेट टयूशन के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है जिसके एवज में उन्हें प्रतिफल मिलता है वे आत्मनिर्भर है इसलिए उनके द्वारा क्रय की गयी भूमि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोनों पुत्रों द्वारा स्व-अर्जित धन के माध्यम से भूमि 12500-12500 रू० में खडंजे पर स्थित गांव की जमीन को क्रय किया गया जिसकी लम्बई चौडाई 15 X 15 वर्ग फिट है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त भूमि क्रय किये जाने की जानकारी भी प्रार्थी को नहीं थी। तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिये जाने के उपरांत जमीन क्रय किये जाने की जानकारी प्रार्थी को हुयी, तब दोनों पुत्रों से उक्त जमीन के बारे में पूछने पर इस बात की पुष्टि हुयी कि मेरे पुत्रों द्वारा उक्त भूमि क्रय की गयी है।

2- कालम नं० 1(a) का विवरण जो कालम नं० 4 में दिया गया है उक्त के बिन्दु सं०२ अर्द्धशासकीय पत्र सं० 23/2019 दिनांकित 30.10.2019 के बावत स्पष्टीकरण तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती को प्रेषित की जा चुकी है जिसके बावत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कोई अन्य दिशा निर्देश नहीं दिये गये थे। अधिवक्ता श्री राम गोपाल शुक्ला द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी दिया गया है जिसमें

उनके द्वारा लिखा गया है कि–न्यायालय के समक्ष एक ही अपराध संख्या में पूर्व में जमानत पर छूटे हुये अभियुक्तों का विवरण या उनके जमानत पर छूटने की जानकारी नहीं थी और न ही जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया था। अधिवक्ता महोदय द्वारा भी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में मौखिक रूप से भी सुनवाई के समय अवगत नहीं कराया गया था जिससे गुण दोष के आधार पर तथ्यों की अनभिज्ञता के कारण जमानत प्रा० पत्र का निस्तारण किया गया। (शपथ पत्र अधिवक्ता श्री रामगोपाल शुक्ला **संलग्नक सं० 1** है)

3– अर्द्धशासकीय पत्र सं० 8/2020 के सम्बन्ध में प्रार्थी को यह कहना है कि शिकायतकर्ता रौनक अली पुत्र लल्लन निवासी कल्यानपुर थाना सोनवा जिला श्रावस्ती द्वारा दिनांक 19.02.2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार के विरुद्ध शिकायती प्रार्थनापत्र तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष दिया गया था जिसमें प्रार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये गये थे तत्पश्चात् शिकायतकर्ता रौनक अली द्वारा दिनांक 05.01.2021 को अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथपत्र के दफा–2 में शपथी द्वारा यह कथन किया गया है कि "शपथी के विरुद्ध वाद संख्या–1813/2007 अन्तर्गत धारा–138 N.I. Act थाना भिनगा सगीर अहमद बनाम रौनक अली न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती पर विचाराधीन था जिसमें दिनांक 19.02.2020 को शपथी ने तत्कालीन जिला जज महोदय के कहने पर C.J.M. न्यायालय के प्रस्तुतकार के खिलाफ प्रार्थनापत्र दिया था। उक्त शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि शिकायत करवाने का काम भी तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर किया गया और तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा बिना प्रार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा किये ही स्वप्रेरणा से अर्धशासकीय पत्र संख्या–08/2020 में गलत तथ्यों को अंकित कर प्रार्थी के विरुद्ध दिया गया है।(शपथी रौनक अली का शपथ–पत्र **संलग्नक सं० 2** व शिकायती प्रार्थनापत्र रौनक अली व तदनुक्रम में कृत कृत कार्यवाही कुल 3 वर्क **संलग्नक सं० 3** है)

4– बिन्दु संख्या 1 (e)(iii) के सम्बन्ध में यह कहना है कि स्वनिर्धारण विवरणी के कालम 16 में दर्शित लोक अदालत में निर्णीत पत्रावलियाँ कुल 2649, को यूनिट में नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि इस पर कोई यूनिट नियमानुसार देय नहीं था। 1182 पत्रावलियाँ अन्य न्यायालयों पर स्थानांतरित की गयी थीं। 836 पत्रावलियाँ 155 (2) Cr.p.c व प्रकीर्ण फौजदारी वादों के मामलों की निस्तारित की गयी जिन पर कोई भी यूनिट देय नहीं था। इसलिए उनको work done में नहीं जोड़ा गया था। तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वनिर्धारण विवरणी के कॉलम 16 में लोक अदालत में निर्णीत पत्रावलियों की संख्या–2649 अंकित की गयी थी, जिसके अवलोकन के बाद भी अपने रिमार्क नम्बर– 1 (e)(iii) में निर्णीत पत्रावलियों की संख्या केवल 1488 ही अंकित की

है, जबकि इसके पूर्व लोक अदालत में निर्णीत मुकदमें व मेरे न्यायालय द्वारा निर्णीत समस्त वादों का स्टेटमेन्ट प्रतिमाह बराबर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता रहा है। इस प्रकार से मेरे द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कोई भी गलत सूचना नहीं प्रेषित की गयी है और न ही किसी तथ्य को छुपाया गया है उसके बावजूद भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है, जो गलत व निराधार है तथा मेरे न्यायालय से प्रेषित सभी विवरणी सही व स्पष्ट है। कथन के समर्थन में विवरणी संलग्न की जा रही है, जो **संलग्नक सं० 4** है।

5- बिन्दु सं० 1 (F) के सम्बन्ध में कहना है कि में मेरे द्वारा पर्याप्त तथ्यों एवं तर्कों को सुनते हुये तर्कपूर्ण न्यायिक भाषा में आदेश पारित किये गये है। जो अपील एवं रिवीजन मेरे न्यायालय से पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध किये गये हैं, अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। मेरे द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध की गयी अपील/रिवीजन आदि में कोई त्रुटि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश के अपीलीय न्यायालय में पारित नहीं हुयी।

6- बिन्दु संख्या 1F(i) के सम्बन्ध में यह कहना है कि मेरे द्वारा पारित किये जाने वाले समस्त निर्णय /आदेश में तथ्यों का आकलन सही ढंग से करते हुए व उसका विश्लेषण करते माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों के आलोक में निर्णय/ आदेश पारित किये जाते रहे है।

7- बिन्दु संख्या 1F(ii) के सम्बन्ध में यह कहना है कि मेरे द्वारा पारित निर्णयों में साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन, विष्लेषण व मूल्यांकन करते हुए निर्णय व आदेश पारित किये गये हैं।

8- बिन्दु संख्या 1F(iii) के सम्बन्ध में यह कहना है कि मेरे द्वारा पारित समस्त निर्णयों/आदेशों में दण्ड प्रक्रिया संहिता व माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सुसंगत विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में किये गये है।

9- बिन्दु संख्या 1G के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरे द्वारा स्व-निर्धारण विवरणी में 2057.72 यूनिट लगभग 170 प्रतिशत कार्य किया गया है जो पूर्णतया सही है तथा निर्धारित मानक से अधिक है। आनलाइन सबमिशन के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जो आपत्तियां लगायी गयी जिसका निराकरण मेरे द्वारा कर दिया गया था इसके बाद कोई भी आपत्ति गुण दोष पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं की गयी और न ही कोई लिखित अथवा मौखिक निर्देश दिये गये।

10- बिन्दू संख्या 1(h) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मेरा अपने कार्यालय पर पूर्ण नियंत्रण है तथा प्रशासनिक क्षमता पूर्ण व प्रभावशाली रही है।

11- बिन्दु संख्या 1(k) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माह सितम्बर 2019 व दिसम्बर 2019 के त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी लिपिकीय त्रुटि के कारण समय से माननीय

जनपद न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित नहीं की जा सकी थी इसके बावत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण टिप्पणी के पैरा 2 के अनुपालन आख्या में प्रार्थी से उक्त त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी के बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु अपेक्षा की गयी थी जिसके अनुक्रम में प्रार्थी ने अपना स्पष्टीकरण व अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित किया था। त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी माह सितम्बर 2019 व माह दिसम्बर 2019 प्रेषित की गयी थी जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 22.9.2020 को अवलोकित किा गया है। (त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी माह सितंबर 2019 व दिसंबर 2019 मय अनुपालन आख्या **संलग्नक सं० 5 व 6** है)

12– माह मार्च 2020 के तृतीय सप्ताह से ही कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण न्यायालयी व प्रशासनिक कार्य पूरे भारत में प्रभावित था तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 22.3.2020 से न्यायालय को पूर्णतया बन्द कर दिया गया था जिस कारण त्रैमासिक निरीक्षण नहीं किया जा सका। इसके अलावा यह भी सादर अवगत कराना है कि त्रैमासिक निरीक्षण करने पर देय यूनिट का दावा भी प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है तथा उसे स्व–निर्धारण विवरणी के प्रोफार्मा सं० 2 में शून्य दर्शाया गया है।

13– श्रीमान जी को यह भी सादर अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि निरीक्षण टिप्पणियां औपचारिक तथा पूर्ण व प्रभावशाली नहीं है जबकि उक्त बिन्दु में ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह उल्लिखित किया गाय है कि सितंबर 2019 व दिसम्बर 2019 व मार्च 2020 के निरीक्षण टिप्पणियों को मेरे द्वरा कभी भी प्रेषित ही नहीं की गयी और न ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अवलोकित किया गया है जो कि परस्पर विरोधाभाषी है क्योंकि तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती श्री मृदुलेश कुमार सिंह द्वारा जनपद श्रावस्ती में बतौर जनपद न्यायाधीश माह अगस्त 2019 में कार्यभार गृहण किया गया है। तत्पश्चात् माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यकाल के दौरान पड़ने वाले वित्तीय वर्ष 2019–2020 की तीन त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणी न प्रेषित किये जाने का कथन किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण त्रैमासिक निरीक्षण टिप्पणियों को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रस्तुत की गयी है।

14– बिन्दु संख्या 1(L) के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि प्रार्थी अनवरत न्यायालय में बैठकर न्यायिक कार्यों का सम्पादन करता रहा है तथा ततकालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जब भी प्रार्थी के न्यायालय व कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तब प्रार्थी न्यायालय में बैठकर न्यायिक कार्य सम्पादित करता हुआ मिला है। आकस्मिक निरीक्षण आख्या में भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में बैठकर कार्य सम्पादित न करने के बावत कोई भी आपत्ति नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा

2057.72 यूनिट का कार्य किया गया है जिसमें 1344 साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित कियाा गया है। 90 फाईलों में 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया है। आरोप का विरचन कुल 321 फाइलों में किया गया है तथा 793 पत्रावलियों में जमानत प्रा० पत्रों का निस्तारण किया गया है।

15- बिन्दु संख्या 1 (M) मैनें हमेशा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय व उच्च न्यायिक अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन किया है तथा अवहेलनाकिये जाने के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय व उच्च न्यायिक अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस नहीं दी गयी है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी सदैव कर्तव्यों के प्रति सजग रहा है व उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों का पालन करता रहा है।

16- मेरे द्वारा पूरे वर्ष 2019-2020 में 2057.72 यूनिट कार्य किया गया है जबकि मात्र १२०० यूनिट कार्य अपेक्षित है अतः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा POOR एण्ट्री जान बूझकर विद्वेषपूर्ण तरीके से हानि पहुचाने के उददेश्य से अंकित की गयी है।

17- उक्त के अनुक्रम में श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा धारा-156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र श्रीमती राधाशुक्ला बनाम हुकुम चन्द्र आदि में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती ने दिनांक 05.09.2014 को निरस्त किया गया था **(संलग्नक सं० 7)** जिसके बावत पुनरीक्षण याचिका तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती श्री ओम प्रकाशा अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसमें तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.09.2014 को उक्त पुनरीक्षण निरस्त कर दिया गया। **(संलग्नक सं० 8)** उसके उपरांत पुनः पांच वर्ष बाद योजित पुनरीक्षण वाद सं० 14/2015 में तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मृदुलेश कुमार सिंह द्वारा पुनरीक्षण याचिका में निर्णय दिनांकित 20.09.2019 **(संलग्नक सं० 9)**पारित करते हुयें पुनरीक्षण स्वीकार किया गया है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 5.9.2014 को खण्डित किया गया है तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई कर विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु निर्देश दिया गया है। सुसंगत आदेश संलग्नक सं० है।

18- प्रकीर्ण वाद सं० 217/12/2017 चन्द्रावती उर्फ श्यामावती बनाम शिवकुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 01.06.2017 (**संलग्नक स० 10**)में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दं०पं०सं० को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है तथा पूर्वाधिकारी द्वारा ही दिनांक 24.01.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र पर दर्ज मुकदमा परिवाद सं० 267/2017 चन्द्रावती बनाम शिवकुमार आदि में परिवादी के परिवाद को धारा-203 दं०प्र०सं में खारिज कर दिया गया **(संलग्नक सं० 11)**। यह भी अवगत कराना है कि पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.6.2017 के विरूद्ध माननीय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के समक्ष चन्द्रावती उर्फ श्यामावती द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण सं०

71/2018 योजित की गयी जिसमें उनके द्वारा धारा–156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र को परिवाद में दर्ज किये जाने के विरूद्ध पुनरीक्षण दायर किया गया परन्तु तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती श्री मृदुलेश कुमार सिंह द्वारा अधिवक्तागण की बहस सुनने व अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत प्रकीर्ण वाद सं० 267/2017 चन्द्रावती बनाम शिवकुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 को खण्डित कर दिया गया तथा परिवादिनी के प्रस्तुत प्रा० पत्र पर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिनांक 02.012.2019 के निर्णय **(संलग्नक सं० 12)** द्वारा दिया गया जबकि उक्त प्रकीर्ण वाद में परिवाद के रूप में दर्ज मुकदमा सं० 267/2017 चन्द्रावती बनाम शिवकुमार आदि को पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.2018 को धारा–203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जा चुका था।

19– उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत मेरे द्वारा माननीय तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मृदुलेश कुमार सिंह से विधिक बिन्दु पर चर्चा की गयी कि उक्त पत्रावली में पहले ही धारा–203 दं०पं०सं० के अंतर्गत परिवाद को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा खारिज किया जा चुका है ऐसे में क्या पुनरीक्षण में पारित आदेश के आलोक में पुनः विधि अनुसार परिवादी को सुनकर आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत होगा, जिसपर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री मृदुलेश कुमार सिंह क्षुब्ध हो गये तथा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हुये चुप रहने का निर्देश दिया।

20– अग्रेतर यह भी निवेदन आदरपूर्वक करना है कि प्रकीर्ण वाद सं० 263/2014 में पारित आदेश के विरूद्ध योजित पुनरीक्षण को तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती श्री ओम प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 16.9.2014 को निरस्त किया चुका था, उक्त आदेश अब तक प्रभावी है। लगभग 5 वर्ष पश्चात पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी जिसे तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश श्री मृदुलेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 20.09.2019 के आदेश में पूर्व के पुनरीक्षण आदेश दिनांक 16.9.2014 का जिक्र नहीं किया गया है और न ही उस आदेश को खण्डित किया गया है जिसके बावत भी प्रार्थी ने तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मृदुलेश कुमार सिंह से न्यायिक कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन चाहा जिसपर भी माननीय जनपद न्यायाधीश क्रोधित हो गये और रिकार्ड खराब कर देने की धमकी दी।

21– इसी क्रम में यह भी सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश अपराध सं० 218/2010 अंतर्गत धारा–379,411 भा०दं०सं० में पारित आदेश जुर्म इकबाल के आधार पर दोषसिद्धि व लकड़ी रिलीज के विरूद्ध अधिवक्ता श्री आशुतोष पाठक द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रा० पत्र पर शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री आशुतोष पाठक का बयान अंकित करते हुये प्रार्थी के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया जबकि उक्त अपराधा संख्या में जुर्म इकबाल

व लकड़ी रिलीज के समय प्रार्थी जनपद श्रावस्ती में कार्यरत ही नहीं था जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को मात्र परेशान करने की नियत से विद्वेषपूर्ण भावना से लगातार प्रताड़ित व अपमानित किया गया तथा माननीय उच्च न्याालय को भी संदर्भित कर दिया गया तथा आलोच्य वर्ष 2019–2020 की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी को भी खराब कर दिया गया। अधिवक्ता श्री आशुतोष पाठक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, उच्च न्यायालय, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्रावस्ती जजशिप एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित शपथ पत्र के दफा 2 में यह दर्शित किया गया है कि ''उक्त आलोच्य आदेश पारित होने के समय वर्तमान सी०जे०एम० महोदय इस जनपद में तैनात नहीं थे। सी०जे०एम० श्रावस्ती श्री शीतला प्रसाद की नियुक्ति इस जनपद में दिनांक 22.5.2019 को हुयी है जिनका उक्त प्रकरण से न कोई सम्बन्ध है और न ही कोई भूमिका ही है '' तथा दफा 3 में यह उल्लेखित किया गया है कि उनके द्वारा किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को कोई बयान नहीं दिया गयाा है वर्तमान सी०जे०एम० श्री शीतला प्रसाद व कार्यालय लिपिक श्री विवेक सिंह यादव का नाम बयान में कैसे अंकित कर लिया गया व किस आशय से अंकित कर लिया गया इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।''(**सम्बन्धित सुसंगत प्रपत्र संलग्नक सं० 13 कुल 16 वर्क** है)

22– उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी सदैव अपने न्यायिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहा है तथा पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य किया है परन्तु तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती श्री मृदुलेश कुमार सिंह द्वारा विद्वेशपूर्ण रूप दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रार्थी को परेशान करने की नियत से भ्रामक आख्याएं माननीय न्यायालय को प्रेषित की गयी तथा जनपद श्रावस्ती से स्थानांतरित होने के करीब 3 माह बाद आलोच्य वर्ष 2019–2020 की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी में प्रविष्टियों को खराब अंकित कर दिया गया है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये सदभावनापूर्वक विचार करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 31.12.2020 को निरस्त करते हिुये न्यायपूर्ण आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थी व उसका परिवार श्रीमान जी का सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

प्रार्थी

S. Prasad

(शीतला प्रसाद)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

श्रावस्ती।

दिनांक : 30-01-2021